सं. एफ. 5-1/92 - स्कूल-3
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
....

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1993

सेवा में,

सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव तथा
स्कूल शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ।

विषय:- राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा ली जाने वाली माध्यमिक पाठ्यक्रम तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करना ।

...

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल (एन.ओ.एस.), दिल्ली को नवम्बर, 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था । यह संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है । भारत के राजपत्र के खण्ड-1 के भाग-1 में प्रकाशित दिनांक 14.9.90 के भारत सरकार के संकल्प सं. एफ. 5-24/90 स्कूल-3 द्वारा राष्ट्रीय ओपन स्कूल को मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के स्कूली स्तर से लेकर डिग्री-पूर्व स्तर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के संचालन और उनके प्रमाणन के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

2. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) ने जिनसे राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा संचालित उपर्युक्त परीक्षाओं की समतुल्यता के बारे में स्पष्टीकरण देने/सुझाव देने का अनुरोध किया गया था । राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्चत्तर माध्यमिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं को भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च पाठ्यक्रमों में दाखिले के उद्देश्य से +2 स्तर की/पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा के समकक्ष के रूप में मान्यता/स्वीकृति प्रदान कर दी है । जहां तक राष्ट्रीय ओपन स्कूल की माध्यमिक पाठ्यक्रम परीक्षा का संबंध है भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्चतर माध्यमिक

.../=

Scanned by CamScanner

परीक्षा को मान्यता प्रदान कर दी गई है । अतः इसे समकक्ष बना दिया गया है, निम्न स्तर की परीक्षाओं को स्वतः स्वीकृति मिल गई है । इस सिलसिले में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी दिनांक 25.7.91 की अधिसूचना सं. ई.वी./11(354)/91/65718-908 और दिनांक 4.3.92 के पत्र सं. ई.वी./1.1(354)/92/20022/सूचना और दिशा-निर्देश हेतु संलग्न हैं । (अनुबंध-I और II) ।

3. राष्ट्रीय ओपन स्कूल . अध्ययन योजना में विद्यार्थी को माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक स्तर पर 6 विषयों तक पढ़ने का विकल्प होता है । माध्यमिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा में चार विषयों (कम से कम एक भाषा-हिन्दी/अंग्रेजी सहित) में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रमाणीकरण का पात्र समझा जाता है । राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा को केन्द्रीय सरकार आदि के अन्तर्गत रोजगार के उद्देश्य से +2 स्तर की/पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा के समकक्ष के रूप में मान्यता और स्वीकृति मिल चुकी है । तथापि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जिस संस्थान में उम्मीदवार दाखिला लेना चाहता है,उस संस्थान द्वारा अपेक्षित विषयों/विषय-योग में उम्मीदवार को उत्तीर्ण होना चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि किसी खास विश्वविद्यालय/संस्थान की यह शर्त हो कि उच्च पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवार को कम से कम 5 विषयों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए तो 4 विषयों के साथ राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उच्च अध्ययनों के पाठ्यक्रमों में दाखिले का पात्र बनने के लिए एक अधिक विषय में अध्ययन करना और उसमें उत्तीर्ण होना होगा ।

4. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि चूंकि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा को +2 स्तर की राज्य/पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा के समकक्ष के रूप में मान्यता मिल चुकी है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा जारी माध्यमिक स्कूल परीक्षा प्रणाणपत्र भारत के अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा संचालित मैट्रीकुलेशन/ कक्षा-x की परीक्षा के समकक्ष है । तथापि यह भी स्पष्ट किया

.../=

Scanned by CamScanner

जाता है कि उच्चत्तर माध्यमिक स्तर पर किसी अन्य संस्थान में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवार को राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा संचालित माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए जिस उच्चत्तर माध्यमिक संस्थान में वह दाखिला प्राप्त करने के इच्छुक है, उस संस्थान की आवश्यकतानुसार उनके द्वारा अपेक्षित विषयों/विषय-योग में उत्तीर्ण होना चाहिए ।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों को आपकी सरकार/प्रशासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सभी संस्थानों/संगठनों/कार्यालयों में विस्तृत रूप से परिचालित कर दिया जाए ताकि राष्ट्रीयओपन स्कूल से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने में तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि के अन्तर्गत रोजगार में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े ।

भवदीय,

ए. बनर्जी

§ ए. बनर्जी §
उप सचिव, भारत सरकार

सूचना तथा आवश्यक दिशा निर्देश हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

i§ भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

ii§ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सभी प्राधिकारी/संगठन ।

iii§ राष्ट्रीय ओपन स्कूल के अध्यक्ष, 39, सामुदायिक केन्द्र, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-52.

iv§ उप सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए. आई. यू. हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2.

ए. बनर्जी

§ ए. बनर्जी §
उप सचिव, भारत सरकार

Scanned by CamScanner